पालनहार योजना

2014

Prepared by:
Foster Care India.

With thanks to:
DCPU, Udaipur

For more information please contact Foster Care India:

fostercareindia.org
+91 294 2450847

5/3 Old Fatehpura
Shankar Colony
Udaipur - 313001
Rajasthan
India

Thanks to the hard work and preparation of this document by:
Rajesh Sharma

पालनहार योजना

(राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजना)

परिचय – किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अध्याय 4, की धारा 40 (पुनरूद्धार और सामाजिक पुर्नएकीकरण) एवं किशोर न्याय नियम 2007 के अध्याय 5 के नियम 32 (पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन) का मुख्य उद्देश्य बालकों को उनके सम्मान और स्वाभिमान को पुन: स्थापित करने तथा जहां कहीं संभव हो, उनके ही परिवार में पुनर्वास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता करना है, तथा दीर्घकालीन संस्थागत देखभाल अन्तिम प्रयास होगा।

विशेष देखरेख व संरक्षण वाले बालकों को जिन्हें दत्तक ग्रहण में नहीं रखा जा सकता ऐसे बालकों के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) तथा किशोर न्याय नियम 2007 के नियम 34-35 के अनुसार राज्य सरकार इस तरह के बच्चों को पारिवारिक माहौल से जोड़े रखने के लिए अपने स्वयं के स्तर से बालकों का पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम व योजना कार्यक्रम तैयार करेगी।

पालनहार योजना

(राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजना)

अधिनियम व नियम के पालनार्थ बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में बाल कल्याणकारी योजना में अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था संस्थागत स्तर में नहीं होकर, घर परिवार के पारिवारिक माहौल में इन बच्चों के निकटतम रिश्तेदारों, सगे सम्बन्धियों द्वारा किया जाना ही पालनहार योजना है, राज्य सरकार की इस अनूठी योजना का मकसद ही बालकों की पारिवारिक परवरिश है।

पालनहार योजना के संचालन हेतु योजना के प्रारम्भ वर्ष 2005 में नियम, उपनियम बनाए गये, जिनमें धरातलीय परिस्थितियों अनुभवों के आधार पर संशोधन होता रहा और समय समय पर आज भी विभाग द्वारा संशोधन हो रहा है, परन्तु 25 अप्रैल 2007 को मुख्य संशोधन कर योजना के नए संशोधित नियम बनाए जिसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया।

पालनहार योजना के संशोधित नियम 2007 के नियम संख्या 2 के अनुसार

पालनहार से तात्पर्य:- ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास प्रारम्भिक शिक्षा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं, तलाक व परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों के लिए माता स्वयं पालनहार होगी। पालनहार द्वारा इन बच्चों को अपने घर में रखना होगा तथा घर जैसी सभी सामान्य सुविधाएँ देनी होगी।

अनाथ बच्चों से तात्पर्य:- ऐसे बालक/ बालिका से है, जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, अथवा उनको न्यायिक आदेश के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी हो अथवा माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी हो अथवा जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो और विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुर्नविवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/ एड्स पीड़ित माता- पिता की संतान हो अथवा जिसकी माता उसे छोड़कर नाते चली गई हो और नाते गए एक वर्ष से अधिक हो गया हो।

उक्त परिभाषाओं के साथ ही पालनहार योजना दिनांक 8 फरवरी 2005 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी है। पूर्व में यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए ही संचालित थी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया और सभी जातियों में 9 श्रेणियों में विभक्त कर अनाथ बच्चों को श्रेणी के अनुसार वित्तीय परिलाभ प्रदान किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य:- अनाथ बच्चों के लिए पालन पोषण, शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था संस्थागत स्तर पर नहीं की जाकर उनके इच्छुक रिश्तेदारों एवं सगे संबंधियों में से एक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से संचालित बाल कल्याणकारी पालनहार योजनान्तर्गत बच्चे को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कराना है।

पालनहार योजना की प्रमुख श्रेणियाँ:-

राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना को 9 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त कर सभी जाति के अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल में परवरिश के लिए देय वित्तीय परिलाभ प्रदान किया जा रहा है।

पालनहार योजना

(राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजना)

पालनहार योजना के लिए पात्रता

1. बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए।
2. उन बच्चों के कोई सहोदय व्यस्क भाई कमाने वाला नहीं हो।
3. पालनहार योजना में आने वाले बच्चे आवेदन की तिथि को कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।
4. पालनहार आवेदन की तिथि को कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।
5. पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपयों से कम होनी चाहिए।

पालनहार योजना के लिए दस्तावेज

1. वार्ड पार्षद/ सरपंच द्वारा प्रमाण-पत्र।
2. आंगनवाड़ी/ विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र।
3. पालनहार का राष्ट्रीयकृत बैंक में व्यवस्थित खाता होना चाहिए।
4. अनाथ बच्चों के माता- पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
5. पालनहार का स्वयं का नवीनतम फोटो व निवास प्रमाण पत्र के वैध दस्तावेज की प्रति।
6. पालनहार योजना का लाभ लेने वाले सभी बालक/ बालिका का नवीनतम फोटो।

पालनहार योजना के लिए देय परिलाभ:-

1. आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह।
2. विद्यालय जाने वाले बच्चों को अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह
3. 2000 रुपये प्रतिवर्ष बच्चे के जूते, मोजे, स्वेटर, वस्त्र व अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रदान किया जायेगा (विधवा व नाता को छोड़कर)।
4. समस्त वित्तीय लाभ पालनहार के राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदान होंगे।

पालनहार की प्रमुख श्रेणियाँ पात्रता व देय परिलाभ

1. अनाथ:- इस श्रेणी के बच्चों के पालनहार हेतु निम्न पात्रता दस्तावेज व देय परिलाभ प्राप्त होते हैं।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज:

1. अनाथ की श्रेणी में पालनहार को एक माता- पिता की सभी संतानों हेतु वित्तीय परिलाभ प्राप्त होते है।
2. अनाथ बच्चों के 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जाएगा। छात्रावासों में अवकाश होने पर इन्हें पालनहार द्वारा रखा जाएगा, जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान मिलेगा। ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पति का विवरण विभाग द्वारा तहसीलदार/ नगरपालिका एवं पंचायत को दिया जाएगा, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी (बालक के वयस्क होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।

2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता- पिता की संतान:- इस श्रेणी के बच्चों के लिए पालनहार को अधिकतम एक संतान के लिए देय परिलाभ प्राप्त होगा।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. माता- पिता के न्यायिक दण्डादेश की प्रति।

3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता:- इस श्रेणी के अनाथ बच्चों की पालनहार विधवा माता को उसकी अधिकतम तीन संतानों के लिए वित्तीय देय परिलाभ प्राप्त होंगे।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. विधवा माता के विधवा पेंशन से लाभन्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति।
2. विधवा माता की दशा में उसके बच्चों की पालनहार वही होगी अन्य कोई पालनहार नहीं हो सकता।

पालनहार योजना

(राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजना)

4. **<u>नाता जाने वाली माता</u>:-** इस श्रेणी में नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानों के लिए वित्तीय देय परिलाभ प्राप्त होंगे।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. नाता जाने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए

   ग्रामीण क्षेत्र में- सम्बन्धित ग्राम सभा की सिफारिश पर सचिव ग्राम पंचायत।

   शहरी क्षेत्र में- सम्बन्धित नगर परिषद/ नगर निगम/ नगर पालिका/ के यथास्थिति आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया प्रमाण पत्र।

5. **<u>पुनर्विवाहित:-</u>** इस श्रेणी में पुनर्विवाहित विधवा माता की अधिकतम एक संतान को वित्तीय देय परिलाभ प्राप्त होंगे।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. विधवा माता के विधिवत पुनर्विवाहित का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

6. **<u>एड्स पीड़ित माता- पिता:-</u>** इस श्रेणी में एड्स से पीड़ित माता-पिता को उनके सभी संतानों के देय वित्तीय परिलाभ प्राप्त होंगे एवं इन बच्चों के पालनहार इनके माता- पिता होंगे।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. एड्स पीड़ित माता- पिता को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. एड्स पीड़ित माता- पिता को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी/ ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.टी. डायरी/ ग्रीन डायरी की प्रति देनी होगी

7. **<u>कुष्ठ रोग पीड़ित माता- पिता:-</u>** इस श्रेणी में कुष्ठ रोग से पीड़ित माता- पिता को उनकी सभी संतानों के लिए देय वित्तीय परिलाभ प्राप्त होगा एवं इन बच्चों के पालनहार इनके माता-पिता ही होंगे।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. कुष्ठ रोग पीड़ित माता- पिता का सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।

8. <u>विशेष योग्यजन</u>- विशेष योग्यजन माता या पिता अथवा दोनों का आशय 40 प्रतिशत या अधिक की निशक्ता से है। इस श्रेणी के माता- पिता ही उनकी संतानों के पालनहार होंगे और इस श्रेणी में अधिकतम दो ही संतानों को परिलाभ देय है।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. विशेष योग्यजन माता- पिता के 40 प्रतिशत या अधिक की निशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र।
2. माता- पिता का बच्चों के साथ रहने का प्रमाण पत्र।

9. **<u>तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला:-</u>** इस श्रेणी में आने वाली माता की सभी संतानों को वित्तीय लाभ देय होगा तथा इस श्रेणी के बच्चों की माता ही उनकी पालनहार होगी।

अतिरिक्त पात्रता व दस्तावेज

1. समस्त वैध रूप से अलग हुई महिला जिसके पास न्यायालय का प्रमाण पत्र हो।
2. मुसलिम महिला जिसका तलाकनामा, स्वयं का शपथ पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
3. ऐसी महिला जिसका तलाक का मुकदमा न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से लम्बित हो उसके दस्तावेज की प्रति।
4. ऐसी महिला जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रहती हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सरपंच, ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट से एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड पार्षद एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित उपखंड अधिकारी के द्वारा परित्यकता का प्रमाण पत्र जारी किये गये प्रमाण पत्र की प्रति।

पालनहार योजना

राजस्थान सरकार के सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजना

पालनहार योजना जानकारी का स्त्रोत:-

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा बाल अधिकारिता विभाग द्वारा 8 फरवरी 2005 से सम्पूर्ण राज्य में संचालित हो रही है, योजना की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट- www.sjerajasthan.gov.in से कर सकते हैं।

विभाग द्वारा वर्ष 2005 से अब तक कुल 10 संशोधन किए गये जिसमें पालनहार योजना के नियमों, परिभाषाओं में बदलाव आया।

पालनहार योजना का विस्तार के सम्बन्ध में समय- समय पर जारी आदेश:-

1. संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25/4/2007
2. संशोधित आदेश क्रमांक 48596 दिनांक 7/8/2007
3. संशोधित आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27/1/2010
4. संशोधित आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30/4/2010
5. संशोधित आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 3/3/2011
6. संशोधित आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23/6/2011
7. संशोधित आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26/4/2013
8. संशोधित आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1/5/2013
9. संशोधित आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29/5/2013
10. संशोधित आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16/5/2013

आवेदन:- पालनहार योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पंचायत समिति में एवं शहरी क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन- बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जारी वेबसाइट- www.ssdg.rajasthan.gov.in पर आन-लाईन कर सकते हैं, एवं भरे हुए आन-लाईन प्रपत्र की एक प्रति बाल अधिकारिता विभाग में जमा करेंगे।

नोट- यह पुस्तिका आमजन में पालनहार योजना के विषय में जागरूकता लाने के लिए है। इसका प्रयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें, विभाग द्वारा समय- समय पर संशोधन होते रहते हैं, अत: अधिक जानकारी के लिए बाल अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें।